Volume -1 Issue -2 July - Sept., 2013

Rajasthan Police Academy
News Letter

इस अंक में ...

- अमेरिकी प्रशिक्षकों द्वारा एटीए प्रशिक्षण
- जनमित्र पुलिस के लिए आई.पी.एस. का वर्टिकल इन्टरेक्सन कोर्स
- वी.आई.पी. सुरक्षा पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण
- समारोह पूर्वक मनाया स्वाधीनता दिवस
- नये पुलिस मुख्यालय का लोकार्पण
- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में राज्य स्तरीय विमर्श
- नेत्रदान घोषणा पत्र से मानवीय सेवा का संकल्प
- अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला
- दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन

निदेशक की कलम से ...

पुलिस पर देश में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस पर कई बार आम जनता द्वारा अनुचित व्यवहार करने का आक्षेप लगता है। पुलिस की जनमित्र छवि प्रदान करने के लिए अनेक प्रयास जारी हैं। पुलिसकर्मियों को आधारभूत प्रशिक्षण से लेकर सम्पर्क सभाओं तक में जन अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वस्तुतः जनमित्र-पुलिस ही परिपक्व प्रजातंत्र की तरफ बढ़ते कदमों की पहचान है। प्रत्येक पुलिसकर्मी में जनसेवा की प्रतिबद्धता और सामाजिक सरोकार का होना जरुरी है। पुलिस पर पक्षपातपूर्ण व अमर्यादित व्यवहार के आक्षेप प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के लिए उचित नहीं है। सभी नागरिक पुलिस को समान रूप से अपना रक्षक समझें, तब ही पुलिस की पूर्ण सार्थकता है। जनमित्र-पुलिस की छवि के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 में पुलिस अधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अध्याय 5 में उल्लेखित बातों की जानकारी होनी चाहिए। व्यवहार में शिष्टता एवं शालीनता तथा असहाय व्यक्तियों की सदैव सहायता से पुलिस की अच्छी छवि बन सकती है। पुलिस को मानवाधिकार का संरक्षक, विधिसम्मत कार्य, अल्पसंख्यकों एवं दुर्बल वर्गों के हितों की प्रहरी, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप निष्पक्ष और दक्ष तथा विधि के प्रति जबावदेही बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इन सबके लिए पुलिस प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक कार्य की परिस्थितियों में बदलाव की आवश्यकता है। निसंदेह यह एक दुरूह कार्य है, परन्तु अतिशय महत्वपूर्ण भी है। इस निमित्त अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए जनमित्र-पुलिस हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसे भविष्य में अन्य स्तर के अधिकारियों को भी दिया जायेगा।

पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण की गुणवत्ता के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के प्रयास जारी हैं। अकादमी में नये छः कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बनास हॉस्टल के सामने नये हॉस्टल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक्वेस्टेरियन स्कूल के लिए भी 16 लाख की लागत से निर्माण कार्य एवं सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अस्पताल भवन का विस्तार कार्य भी प्रगति पर है। दो सौ दुपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए नया फाईबर शेड बनकर तैयार हो चुका है। अन्य निर्माण कार्य भी प्रगति पर हैं, जिन्हें समय पर पूर्ण किया जाना है। इससे भविष्य में हमारी प्रशिक्षण क्षमताओं और अन्य सुविधाओं में वृद्धि होगी। पुलिस प्रशिक्षण में गुणवत्ता वृद्धि के साथ ही जनमित्र पुलिस बनाने के हमारे प्रयास जारी रहेंगे। आपसे सदैव मिलने वाले सहयोग के लिए आभार .....

भगवान लाल सोनी
निदेशक

अमेरिकी प्रशिक्षकों द्वारा एटीए प्रशिक्षण

अमेरिका के एन्टीटेरेरिस्ट असिस्टेन्स प्रशिक्षकों द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी में तीन सप्ताह का टेक्टिकल कमाण्डर्स कोर्स का आयोजन किया गया। दिनांक 02 सितम्बर 2013 से 20 सितम्बर 2013 तक चलाये गये प्रशिक्षण में सम्पूर्ण देश से विभिन्न पुलिस संगठनों के 19 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण में एन.आई.ए., एस.एस.बी., सी.आर.पी.एफ., आई. टी.बी.पी., एन.पी.ए., बी.एस.एफ., लोकसभा सुरक्षा के अधिकारियों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, आसाम, अरूणाचल प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र के उप अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल हुये। कोर्स में कमाण्डर्स और टीम लीडर्स, जो आतंकवाद के विरूद्ध और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स में पद स्थापित हैं, को मॉडर्न कमाण्ड और अधीनस्थों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई। इससे पूर्व भी दिनांक 19.09.2011 से 30.09.2011 तक अमेरिका के डिपार्टमेन्ट ऑफ स्टेट, एन्टीटेरेरिस्ट असिस्टेन्स कार्यालय द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रथम ए.टी.ए. प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जो 'सर्वेलेन्स फोर लॉ एन्फोर्समेन्ट' विषय पर था। प्रशिक्षण में सर्वप्रथम विषय की जानकारी प्रदान करना तत्पश्चात् व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है। व्यावहारिक प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के विभिन्न ग्रुप बनाये जाकर उन्हें टास्क दिया जाता है। अगले दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विभिन्न ग्रुप द्वारा प्रजेन्टेशन एवं उस पर डिस्कशन किया जाकर ग्रुप द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण में की गई गलतियों को बताया जाता है तथा उस विशेष स्थिति में ग्रुप लीडर एवं टीम को क्या करना चाहिए था, बताया जाता है। प्रशिक्षण में नेतृत्व एवं प्रबन्धकीय क्षमताओं के विकास के साथ ही टेक्टिकल स्किल्स में वृद्धि की जाकर आतंकवादी घटनाओं के समय प्रतिभागियों में टेक्टिकल रेस्पोन्स के हुनर सिखाने पर बल दिया गया। कोर्स में प्रतिभागियों को पुलिस के व्यवहार और उसकी कर्तव्यनिष्ठा, टेरेरिस्ट ट्रेन्डस एवं टेक्टिक्स, लीडरशिप कमाण्ड एवं कन्ट्रोल, टेक्टिकल डवलपमेन्ट एण्ड एक्यूपमेन्ट, डवलपिंग स्टण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स, क्रिटिकल इन्सीडेन्ट मैनेजमेन्ट, प्रिन्सीपल्स ऑफ टेक्टिक्ल प्लानिंग, एक्यूपमेन्ट रेडिनेस, स्टेब्लीसिंग एण्ड मेन्टेनिंग ए क्राइसिस रेस्पोन्स टीम, ब्रीचिंग ऑपशन्स, वलन्रेबिलिटी एनेलेसिस, सुसाइड बम्बर एवं आई.ई.डी. थ्रेट्स, एक्टिव शूटर प्लानिंग कन्सीड्रेशन्स एवं मैनेजमेन्ट ऑफ मेजर इवेन्टस तथा पोस्ट इन्सीडेन्ट प्रोसिजर्स की जानकारी प्रदान की गई। कोर्स का उद्देश्य हाई रिस्क टेक्टिकल ऑपरेशन्स की योजना बनाने एवं वास्तविक आतंकवादी घटनाओं में नेतृत्व एवं नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता पैदा करना था।

एन्टीटेरेरिज्म असिस्टेन्स का उद्देश्य विभिन्न देशों में लॉ एन्फोर्समेन्ट ऐजेन्सीज को विभिन्न प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता प्रदान करना है। अब तक उनके द्वारा 155 देशों में आतंकवाद से निपटने के लिए एन्टीटेरेरिज्म प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है जिनसे आतंकवादी घटना होने की आशंका पर ठीक से मुकाबला किया जा सके। उनका उद्देश्य सहयोगी देशों में आपसी हितों के मुद्दों पर सहयोग की भावना का विकास करना तथा मानवाधिकारों के प्रति सम्मान एवं सुरक्षा का वातावरण बनाकर तथा मानवतावादी भावना का विकास कर उन्हें प्रभावी आतंकवाद निरोधी तकनीक की जानकारी प्रदान करना है।

जनमित्र पुलिस के लिए आई.पी.एस. का वर्टिकल इन्टरेक्सन कोर्स

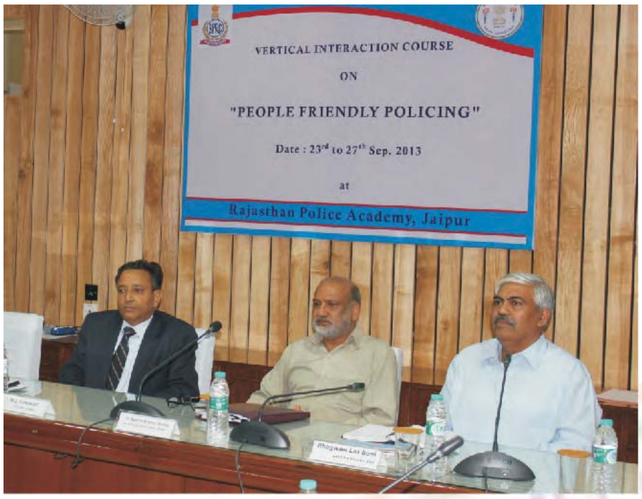

राजस्थान पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए जनमित्र पुलिस विषय पर पांच दिवसीय वर्टिकल इन्टरेक्शन कोर्स दिनांक 23.09.2013 से 27.09.2013 तक करवाया गया। बीपीआर एण्ड डी द्वारा पीपल फ्रेण्डली पुलिसिंग पर राजस्थान पुलिस अकादमी को तीन कोर्स करवाने की जिम्मेदारी दी गई। अकादमी में इस विषय पर यह प्रथम कोर्स था। इस कोर्स में पुलिस अधीक्षक से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के 25 प्रतिभागी देश के विभिन्न प्रांतों से शामिल हुये। कोर्स के उद्घाटन सत्र में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने सभी प्रतिभागियों का अकादमी में स्वागत किया तथा विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए पुलिस को जनमित्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री एन. रॉय पूर्व पुलिस आयुक्त मुम्बई ने इस अवसर पर बोलते हुए पुलिस को जनमित्र के स्थान पर जन आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने पर बल दिया तथा अपनी कार्यप्रणाली को एक सेवा प्रदाता के रूप में बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा आमजन उसके उपभोक्ता हैं। पुलिस को सेवा प्रदाता का काम करने की आवश्यकता है। हमारे व्यवहार और कार्य जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने देशभर में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली श्रेष्ठ विधियों के संस्थागत किये जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने प्रक्रियाओं के सरलीकरण को पुलिस कार्य में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण बताया तथा पुलिस के नीति निर्धारण में बुद्धिजीवी लोगों से सहयोग लेने पर भी बल दिया।

पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री एस. अहमद ने द्वितीय सत्र में लोगों में यह विश्वास दिलाने पर बल दिया कि पुलिस जनता की सहायता के लिए है। उन्होंने पुलिस के सिपाहियों के बेहतर प्रशिक्षण तथा इकबाल को भी महत्वपूर्ण बताया एवं पुलिसकर्मियों के पद स्थापन में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता बताई। महानिरीक्षक पुलिस हिसार श्री शत्रुजीत सिंह ने हरियाणा में यातायात नियमों के सम्बन्ध में किये गये परिवर्तन के बारे में बताते हुए विद्यालय के छात्रों एवं नौ जवानों को पुलिस के साथ मिलकर कार्य करने को महत्वपूर्ण बताया।

डॉ. ईश कुमार, निदेशक बी.पी.आर. एण्ड डी. ने गिरफ्तारी के मामलों में पूर्ण सतर्कता बरते जाने पर बल दिया क्योंकि इससे व्यक्ति के सम्मान को आघात पहुंचता है। उन्होंने जनमित्र पुलिस थानों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता बताते हुए सभी परिवादों को दर्ज करने एवं उन पर अविलम्ब एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने पुलिस के व्यवहार एवं अभिवृति को मित्रवत एवं सेवा प्रदाता के रूप में बनाने पर बल दिया। उन्होंने कम से कम बल प्रयोग को पुलिस के व्यवहार में लाने को उचित बताया। उन्होंने पुलिस थानों के बाहर राइफल सहित संतरी नहीं रखने, प्रत्येक थाने में स्वागत डेस्क लगाने, महिलाओं के परिवाद के लिए महिलाओं की नियुक्ति, आगन्तुकों के लिए पर्याप्त कुर्सियां, पुलिस थानों पर साफ–सफाई, पीड़ित महिला एवं समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के साथ–साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई।

श्री एम.के. देवराजन सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान ने Concept of People Friendly Policing with special reference to Human Resource Development & Community Policing विषय पर व्याख्यान दिया तथा बताया कि मानवाधिकार आयोग में 70 प्रतिशत परिवाद पुलिस कर्मियों के विरुद्ध

प्राप्त होते है, जिनमें पुलिस को संवेदनहीन तथा निष्ठुर बताया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले परिवादों में काफी कमी लाई जा सकती है। पुलिसकर्मियों को इसके लिए परिवादियों से जानकारी साझा करने तथा कानून के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री के. कोशी सेवानिवृत्त महानिदेशक, बी.पी.आर. एण्ड डी. ने Transformation of Traditional Police to people friendly police एवं Jaipur experiment-origin and concept विषय पर प्रतिभागियों से जानकारी साझा की। श्री राजीव दासोत अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने Relations with media, How to project good works, How to improve image, Relations with media persons विषय पर व्याख्यान दिया तथा मीडिया की पुलिस की जनमित्र छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने पुलिस के अच्छे कार्यो को समाचार पत्रों में खबर बनाया जाना अतिशय जरूरी बताया।

श्री जे.के. त्रिपाठी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तमिलनाडु ने Community Policing Trichi Experiment पर अपने अनुभव बताये तथा श्रीमती श्रीरुपा मित्रा चौधरी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने Orientation towards women, elderly, children-strategies for improvement विषय पर व्याख्यान देते हुये प्रतिभागियों को पुलिस की छवि सुधारने के विभिन्न उपाय बताये।

श्री कपिल गर्ग अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने Beat Policeing as a tool for People Friendly Folicing विषय पर व्याख्यान देते हुए बताया कि बीट व्यवस्था के माध्यम से पुलिस लोगो के नजदीक जा सकती है तथा लोगों की मदद कर सकती है। उन्होंने प्रोएक्टिव पुलिसिंग को महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस के कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को अत्यधिक उपयोगी बताया।

श्री भूपेन्द्र सिंह प्रोवाईस चान्सलर सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर ने People Friendly : Police Ethical Issues पर व्याख्यान देते हुए कहा कि पुलिस के सम्बन्ध में गठित विभिन्न कमिशन्स, कमेटियाँ तथा रिपोर्ट आदि में पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार पर बल दिया गया है। उन्होंने विभिन्न पुलिस संगठनों के ध्येय वाक्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि सभी पुलिस संगठन लोगों को बेहत्तर सेवा उपलब्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि परम्परागत पुलिस व्यवहार अपारदर्शी रहा है। हमें जनमित्र पुलिस के रूप में ही अच्छी छवि प्राप्त हो सकती है तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं परम्पराओं की रक्षा भी जनमित्र पुलिस के रुप में की जा सकती है।

कार्यशाला में श्री आदर्श किशोर सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने विदाई सत्र में व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में वांछित सुधार की आवश्यकता है क्योंकि हम अपने ही लोगो के लिए कार्य करते है। पुलिस की कार्यप्रणाली का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है तथा पुलिस को हठधर्मितापूर्ण आचरण करने के बजाय लोगों से संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विफल होने के कारणों में संस्थाओं का ठीक से काम नहीं कर पाना भी प्रमुख कारण होता है। पुलिस को जवाबदेही एवं जनमित्र बनाने के लिए पदस्थापन राजनीतिक दखल के स्थान पर पुलिस संस्थापन बोर्ड द्वारा किये जाने चाहिए।

प्रतिभागियों को विधायकपुरी एवं कोतवाली पुलिस थानों का भम्रण करवाया जाकर जनमित्र पुलिस के रुप में अपनाई जा रही श्रेष्ठ विधियों की जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों के विभिन्न ग्रुप द्वारा जनमित्र विषय पर तैयार किये गये प्रजन्टेशन दिये गये तथा समूह विमर्श किया गया। कार्यशाला के अन्तिम सत्र में श्री एम.एल. कुमावत वाईस चान्सलर सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर ने Peole Friendly Policing some thoughts & strategies विषय पर प्रतिभागियों से अपने अनुभव साझा करते हुए पुलिस कार्यप्रणाली में वांछित सुधार की आवश्यकता बताई।

वी.आई.पी. सुरक्षा पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण

देश में नक्सल और माओवादी हिंसक घटनाओं में वृद्धि तथा छत्तीसगढ़ की घटना के पश्चात् विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में पुलिस नेतृत्व को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का वर्टिकल इन्टरेक्शन कोर्स दिनांक 29.07.2013 से 02.08.2013 तक आयोजित किया गया। कोर्स का आरम्भ श्री देवेन्द्र सिंह, सेवानिवृत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के संभाषण से शुरू हुआ। जिन्होंने वी.आई.पी. सुरक्षा के प्रमुख सिद्धान्त प्रतिभागियों को बताते हुए कहा कि विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के इंतजाम सम्भावित खतरे के अनुरूप किये जाने चाहिए।

प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में समूह विमर्श रखा गया जिसमें श्री देवेन्द्र सिंह के अतिरिक्त श्री के.राम, अतिरिक्त निदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, श्री के.के. शर्मा, निदेशक, बी.एस.एफ. अकादमी, टेकनपुर, श्री डी.एस. दिनकर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स राजस्थान तथा श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी शामिल हुये। विमर्श का विषय VIP Security: An Ever Evolving Concept रखा गया। ग्रुप डिस्कशन में विभिन्न बिन्दुओं पर वार्ता की गई जिनमें श्री के.के. शर्मा के अनुसार हमलावरों के आधुनिक समय में उच्च प्रशिक्षण तथा स्वयं को लक्ष्य के लिए मिटा देने वाली भावना के अनुरूप ही वी.आई.पी. के खतरों में बढ़ोतरी के मध्यनजर वी.आई.पी. सुरक्षा में लगे लोगों को भी उच्च प्रशिक्षित तथा बलिदान की भावना से पूर्ण होना चाहिए। श्री के. राम ने सुरक्षा इन्तजामों में संतुष्ट होना तथा किसी भी चीज को संभावना पर छोड़ना अनुचित बताया। श्री डी.एस. दिनकर ने सुरक्षा व्यवस्था को खतरे के अनुरूप किये जाने का उल्लेख किया। श्री देवेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षित लोगों को ही सुरक्षा में लगाने पर बल दिया तथा ब्रीफिंग एवं डी ब्रीफिंग को अतिशय महत्वपूर्ण बताया। श्री सिंह ने सुरक्षा में लगे लोगों को वी.आई.पी. के कार्यक्रम, स्थान जहां वी.आई.पी. को जाना है तथा खतरे से सम्बन्धित आसूचना एवं उन्हें जो कार्य करना है, उसकी पूर्ण जानकारी होने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने स्थान जहां सुरक्षाकर्मी लगा है, वहीं ब्रीफिंग करना उचित बताया तथा किसी आकस्मिक स्थिति में उन्हें किस तरह से कार्यवाही करनी है, की समझाईश को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आकस्मिकता की स्थिति में किसी को भी अपना स्थान छोड़कर घटनास्थल की तरफ नहीं भागना चाहिए अपितु अपने स्थान की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने आतंकवादियों द्वारा पूर्वाभ्यास करना बताते हुए सुरक्षा में लगे लोगों के लिए भी पूर्वाभ्यास उतना ही महत्वपूर्ण बताया।

श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ने वी.आई.पी. के लोगों के अत्यधिक नजदीक जाने की स्थिति में सादा वस्त्र में ज्यादा पुलिसकर्मी लगाने पर बल दिया, वहीं श्री जनार्दन शर्मा ने वी.आई.पी. की राजनैतिक आवश्यकताओं और सुरक्षा में समान तालमेल पर बल दिया। ग्रुप डिस्कशन के दौरान वी.आई.पी. कारकेड, ट्रेफिक मूवमेन्ट आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सुश्री बीना भारती ने बल प्रयोग तथा गोली किस स्थिति में चलानी चाहिए पर प्रश्न किया जिस पर श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि गोली चलाना सुरक्षाकर्मियों का अन्तिम विकल्प होना चाहिए। उनका मुख्य कार्य वी.आई.पी. की सुरक्षा करना है तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में वी.आई.पी. को वहां से हटाकर तुरन्त सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। उन्होंने अनआर्म्ड कॉम्बेट तथा बॉडी ब्लॉक का प्रयोग उचित बताया तथा सुरक्षा में लगे लोगों में शारीरिक तथा फायरिंग में दक्षता दोनों को महत्वपूर्ण बताया तथा कभी–कभी एलीमेन्ट ऑफ सरप्राईज भी महत्वपूर्ण बताया।

प्रशिक्षण के दौरान वी.आई.पी. सुरक्षा को खतरे एवं चुनौतियों पर श्री के. राम. ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि आतंकवादियों को अपना लक्ष्य, स्थान, समय चुनने की आजादी होती है, वहीं सुरक्षाकर्मी केवल आकस्मिक स्थिति में ही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुरक्षा में लगे लोगों की निष्ठा पर निरन्तर निगरानी रखी जानी

चाहिए ताकि निष्ठा को कोई प्रभावित नहीं कर सके। सुरक्षाकर्मियों की सुस्ती एवं लापरवाही आतंकवादियों को अवसर प्रदान करती है। उन्होंने यह भी बताया कि आतंकवादियों को वी.आई.पी. पर हमला करने से अत्यधिक प्रचार मिलता है। अतः वी.आई.पी. सुरक्षा में लोगों को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपकरणों को अपग्रेड करना चाहिए।

श्री के.के. शर्मा ने वी.आई.पी. सुरक्षा के प्रमुख सिद्धान्त बताये। उन्होंने एन्टीसबोटेज चैक को सुरक्षा के लिए अतिशय महत्वपूर्ण बताया तथा यह कार्य अनुभवी तथा प्रशिक्षित अधिकारियों, जिन्हें सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की पूर्ण जानकारी हो, के द्वारा ही किये जाने पर बल दिया। सुरक्षाकर्मियों की जीवनशैली पर निरन्तर निगरानी रखी जानी चाहिए।

श्री एस.के. जैन सदस्य पब्लिक ग्रीवेन्स कमीशन ने एडवांस सिक्योरिटी लाइजन तथा हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। उन्होंने यातायात एवं अन्य प्रबन्ध स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी बताया। उन्होंने बताया कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन उस स्थान से शुरू होता है जहां पर वी.आई.पी. का आगमन होता है तथा उन समस्त स्थानों का जहां पर वी.आई.पी. के जाने का प्रोग्राम हो, तक निरन्तर रहता है। जहां पर वी.आई.पी. लोगों के अत्यधिक नजदीक जाने वाला हो उन स्थानों पर दोहरा चैक किया जाना चाहिए। हेलीपेड पर प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाकर उसकी सुरक्षार्थ आर्म्ड गार्ड लगाई जानी चाहिए। पब्लिक मीटिंग के दौरान बुलेट प्रुफ लेक्ट्रम एवं व्यू कटर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री राजीव दासोत अतिरिक्त महानिदेशक ने सड़क यात्रा, कारकेड, रूट लाईन व्यवस्था, ट्रेफिक प्रबन्धन, लोगों से मुलाकात एवं अचानक रुकने तथा संदेश यात्राओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की। श्री राजेश निर्वाण महानिरीक्षक पुलिस ने चुनाव के दौरान किये जाने वाले सुरक्षा प्रबन्ध का विस्तार से उल्लेख किया तथा वी.आई.पी. की सुरक्षा के लिए अचानक यात्राओं के लिए पहले से निर्धारित क्लोज प्रोटेक्शन टीम रखने पर बल दिया। श्री सुधीर लखटकिया ने बल्यू बुक के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री सौरभ श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री राजस्थान को दी जाने वाली सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। श्री दलपत सिंह दिनकर ने स्पेशल सिक्यूरिटी विंग तथा वी.आई.पी. की विभिन्न केटेगरी के बारे में बताया। श्री एस.एस. चतुर्वेदी ने एस.पी.जी. एक्ट एवं एम.एच.ए. गाईड लाईन के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के आपस में पहचान करने पर भी बल दिया तथा सुरक्षा में घुसपैठ, तोड़फोड़, छद्म पहचान से प्रवेश एवं दोषपूर्ण ए.एस.सी. को वी.आई.पी. के लिए विशेष खतरा बताया। उन्होंने आकस्मिक योजना का अभाव, सुरक्षाकर्मियों का फिक्स पैटर्न, यूनिफाईड कमाण्ड का अभाव आदि को भी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने पी.एस.ओ. की फिजिकल फिटनेस, इण्ड्योरेन्स, चपलता, गति, रिफ्लेक्स आदि को महत्वपूर्ण बताया तथा उसे मानसिक रूप से प्रसन्न एवं दृढ़ होने की भी आवश्यकता बताई। श्री आर.के. विज ने माओवादियों के राजनीतिक एजेण्डे पर प्रकाश डालते हुए वी.आई.पी. सुरक्षा के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। सेना के अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की आई.ई.डी की जानकारी प्रदान की गई।

समापन सत्र में एन.आई.ए. के निदेशक श्री एन. आर. वासन एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) श्री आर.एस. ढिल्लों के द्वारा सुरक्षा के विभिन्न मसलों पर विचार साझा किये गये।

समारोह पूर्वक मनाया स्वाधीनता दिवस

पुलिस अकादमी में राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस को अकादमी के स्टेडियम में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर अकादमी परिसर में विशेष सजावट की गई तथा विभिन्न भवनों पर रोशनी की गई। अकादमी के हॉस्टल्स के सम्मुख एवं अन्य स्थानों पर रंगोली बनाई गई। स्टेडियम पर विशेष रूप से सजावट की जाकर समारोह को भव्यता प्रदान की गई। अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उन्होंने इस अवसर पर सभी कर्मचारियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाऐं देते हुए अकादमी की विभिन्न गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए अकादमी को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने के लिए उनके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर निदेशक महोदय ने अकादमी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों को नकद ईनाम व प्रशंसा पत्र भी प्रदान किये। इस वर्ष उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वालों में श्री धीरज वर्मा, उप निरीक्षक पुलिस को इण्डोर प्रशिक्षण के अतिरिक्त स्पेशल कोर्सेज के सफल संचालन के लिए, श्री पूर्ण सिंह, उप निरीक्षक को इण्डोर प्रशिक्षण के अतिरिक्त बाहर से आने वाले अधिकारियों के साथ लाइजनिंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए, श्री बलबीर सिंह, श्री शिवराज सिंह, श्री रमेश डाबरिया, हैड कॉंस्टेबल एवं श्री सतीश कुमार एवं संदीप कुमार कांस्टेबल को आउटडोर प्रशिक्षण के लिए, श्री दीप सिंह हैड कॉंस्टेबल को मनु सदन मैस प्रबन्धन में कार्य के लिए, श्री रामराज कॉंस्टेबल को लाईब्रेरी के रख–रखाव के लिए, श्री शैलेन्द्र सिंह कॉंस्टेबल को कैन्टीन में कार्य के लिए, श्री पूनम शर्मा को तैराकी प्रशिक्षण में योगदान के लिए, श्री सुगनचन्द कॉंस्टेबल को कार्यालय की देखरेख एवं मनुसदन मैस व्यवस्था के लिए, श्री पप्पू सिंह कॉंस्टेबल को परिवहन शाखा में योगदान के लिए, श्री अशोक कुमार कॉंस्टेबल को सी.डी.पी.एस.एम. शाखा में कार्य के लिए, श्री सुरेश कुमार कॉंस्टेबल को मंदिर में कार्य के लिए, श्री अशोक कुमार कॉंस्टेबल को जनरल स्टोर में कार्य के लिए, श्री गंगासहाय कॉंस्टेबल को मैस कार्य में योगदान के लिए, श्री सुल्तान सिंह कॉंस्टेबल को कम्प्यूटर कार्य के लिए, श्री नागरमल कॉंस्टेबल को कार्यालय में कार्य के लिए, श्रीमती मन्जु यादव कॉंस्टेबल को कम्प्यूटर पूल में कार्य के लिए एवं श्रीमती पुष्पा शर्मा कॉंस्टेबल को 150वीं वर्षगांठ पुलिस परेड में कार्य के लिए निदेशक महोदय द्वारा 500/रूपये मय प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये।

निदेशक महोदय ने इस अवसर पर पुलिस स्टाफ के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में श्री अनिल कैशियर, श्री बाबूलाल वरिष्ठ लिपिक, श्री मुकेश कुमार सफाईकर्मी एवं श्री महेश कुक शामिल थे, जिन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये। श्रीमती शालीनी सिंह, कन्सल्टेन्ट, सी.एस.डी.जी.एस. को जेन्डर सेन्सेटाईजेशन एवं बाल संरक्षण विषयों में प्रशिक्षण में योगदान के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्टाफ एवं प्रशिक्षुओं के बीच रस्साकसी तथा क्रिकेट मैच का आयोजन भी किया गया।

नये पुलिस मुख्यालय का लोकार्पण

राजस्थान पुलिस का वर्षो से संजोया सपना दिनांक 18.09.2013 को पूरा हुआ। इस दिन राजस्थान पुलिस के नये मुख्यालय भवन का लोकार्पण राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। पुलिस मुख्यालय के लोकार्पण समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमोनारायण मीना, गृह राज्यमंत्री श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, जयपुर के सांसद श्री महेश जोशी एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी थे। राजस्थान पुलिस के लगभग सभी पूर्व महानिदेशक पुलिस एवं अनेक सेवानिवृत पुलिस अधिकारी तथा वर्तमान पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए उपस्थित थे।

लालकोठी, नेहरू पैलेस के पास 20,000 वर्गमीटर भूमि राज्य सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय हेतु आवंटित की गई थी। लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाले आठ मंजिला भवन में अभी भी ऊपर की मंजिलों का कार्य पूर्ण होना बाकी है। नये भवन का निर्माण कार्य 02 अक्टूबर 2008 को इसके शिलान्यास से शुरू हुआ। नये भवन में भूतल के अतिरिक्त इसके दो तल पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात् इसे औपचारिक उद्‌घाटन के साथ उपयोग हेतु पुलिस विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। नवीन पुलिस मुख्यालय भवन सोलह सौ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कुल 7,77,589 वर्गफीट क्षेत्र पर निर्मित किया गया है। इसका निर्माण कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम से करवाया जा रहा है। भवन कुल 02 बेसमेन्ट के अलावा 08 मंजिला है। दोनों बेसमेन्ट में करीब 300 चार पहिया वाहन एवं 1000 दो पहिया वाहन पार्किंग किये जा सकेंगे। भवन का बाहरी डिजाईन पारम्परिक राजस्थानी एवं आधुनिक निर्माण कला का बेजोड़ नमूना है। पुलिस मुख्यालय भवन का डिजाईन भूकम्प रोधी है। भवन का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग के आधार पर किया गया है जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। बिजली के कम ऊर्जा खर्च करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया गया है। भवन में आवश्यकतानुसार एयर कूलिंग एवं एयर कंडिशनिंग, लिफ्ट, निःशक्तजन हेतु रेम्प, फायर फाइटिंग सिस्टम एवं फायर डिटेक्शन अलार्म, बेसमेन्ट में वेन्टिलेशन, सौर ऊर्जा के उपयोग, लोकल एरिया नेटवर्किंग आदि का कार्य भी करवाया गया है।

इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री हरीशचन्द्र मीना ने पुलिस मुख्यालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अन्य सहायता देने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने राजस्थान पुलिस को नया मुख्यालय मिलने को ऐतिहासिक क्षण बताया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में उनकी महत्ती भूमिका का उल्लेख करते हुए आतंकवाद, घरेलू हिंसा व साम्प्रदायिक तनाव के वक्त उच्च स्तर का इकबाल कायम रखने की सलाह दी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने पर बल दिया। इस अवसर पर श्री नमोनारायण मीना, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं महेश जोशी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। श्री दलपत सिंह दिनकर, ए.डी.जी.पी., इन्टेलीजेन्स ने समारोह के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में राज्य स्तरीय विमर्श

राजस्थान पुलिस अकादमी में विभिन्न विषयों पर मंथन एवं विमर्श किया जाकर उनके समाधान तलाशने का कार्य किया जाता रहा है। दिनांक 28.09.2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, श्रीमती ममता शर्मा तथा श्रीमती श्रीरुपा मित्रा चौधरी, श्री एम.एल. कुमावत, कुलपति सरदार पटेल पुलिस विश्व विद्यालय, जोधपुर एवं अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी समस्त राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षुओं के साथ अकादमी के ऑडिटोरियम में ''बलात्कार, मानव तस्करी एवं महिलाओं के विरूद्ध हिंसा'' विषय पर विमर्श हेतु एकत्रित हुए। अकादमी के निदेशक ने विषय पर विमर्श एवं दिशा निर्देशन हेतु पधारे विशेष मेहमानों का इस अवसर पर स्वागत करते हुए लोगों के जीवन, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा हेतु पुलिस को सदैव तत्परता से कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जब लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचती है तो गुस्सा पैदा होता है। उन्होंने दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद लोगों द्वारा किये गये उग्र प्रदर्शन को इस गुस्से की अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि क्यों हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? प्रतिदिन महिलाओं के विरूद्ध अपराध समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापे जा रहे हैं। तीन वर्ष तक की बच्चियों के साथ भी अपराध हो रहे हैं तथा हमें बेटियों की सुरक्षा की चिन्ता होने लगी है। उन्होंने बताया कि जब कोई महिला थाने में परिवाद लेकर जाती है तो उसके चरित्र पर टीका–टिप्पणी एवं पड़ताल की जाती है। हमें मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा तथा उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि पुलिस उनकी सहायता के लिए तत्पर है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में पुलिस को तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने सभी सम्बन्धित पक्षों यथा सी.एल.जी. सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों को भी महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में संवेदनशील होने पर बल दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री एम.एल. कुमावत ने महिलाओं के सशक्तिकरण में विश्वविद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विश्व की लगभग 17.4 प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है परन्तु दुनिया के 50 प्रतिशत यौन शोषण के अपराध भारत में होते हैं। उन्होंने बताया कि देश की आजादी के समय केवल 02 प्रतिशत महिलायें साक्षर थी जो अब लगभग 50 प्रतिशत हैं। शिक्षा से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है तथा उनमें आत्मनिर्भरता भी आई है। उन्होंने कहा कि अभी भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं तथा राजस्थान में ही 6 से 11 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में मात्र 883 लड़कियां रह गई हैं। उन्होंने जनसंख्या में महिला तथा पुरूष के अनुपात बिगड़ने के दूरगामी परिणामों से आगाह करते हुए मानव तस्करी जैसे अपराधों के बढ़ने की संभावना बताई। उन्होंने कहा कि आज भी राजस्थान एवं हरियाणा में कई स्थानों पर मानव तस्करी कर लाई गई लड़कियों से शादी कराने का प्रचलन है। उन्होंने महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कठोर कानून की आवश्यकता बताते हुए कानून के क्रियान्वयन को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि समस्याओं के नवाचार युक्त समाधान विश्वविद्यालय द्वारा ही निकाले जा सकते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए बताया कि पुलिस को

अपनी भाषा तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का परिवर्तन प्रशिक्षण द्वारा ही सम्भव है। उन्होंने वैज्ञानिक सोच के माध्यम से समाज में परिवर्तन का आह्वान करते हुए सती प्रथा तथा डायन जैसी कुरीतियों पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता बताई। उन्होंने बताया कि समाज के दृष्टिकोण में बदलाव के बिना वांछित परिवर्तन सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहता है तो दूसरे की बेटी को सुरक्षित क्यों नहीं देखना चाहता? उन्होंने महात्मा गाँधी द्वारा नारी को अबला कहना, नारी का अपमान होना बताने को उचित बताया तथा महिलाओं को स्वयं भी अपने उत्थान के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

श्रीमती श्रीरुपा मित्रा चौधरी ने पुलिस को अच्छे व्यवहार करने की सलाह देते हुए वर्दी में दुर्व्यवहार करने से पुलिस में विश्वास कम होने की बात कही। उन्होंने पुलिस को महिलाओं की रक्षा के लिए अपना दायरा बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने बेहतर दिनचर्या से व्यवहार में वांछित परिवर्तन की संभावना बताई। कार्यक्रम के अन्त में विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुझाव दिये गये। कार्यक्रम के अन्त में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने अच्छी गश्त, भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति, महिलाओं को सुरक्षा की मुख्य बातें बताई जाकर 15–20 दिन की ट्रेनिंग से आत्मरक्षा के गुर सिखाकर, सी.एल.जी. व शांति समितियों की जागरूकता से, महिलाओं की सी.एल.जी. में संख्या बढ़ाकर, मेला, त्योंहार व शोभा यात्राओं के समय अच्छे पुलिस बन्दोबस्त द्वारा पुलिस थानों में महिला डेस्क पर महिला अधिकारी की उपस्थिति आदि को महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी का एक ही गलत कार्य लाखों अच्छे कार्यों पर बुरा असर डालता है। उन्होंने पुलिस को संवेदनशील बनाने तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने पर बल दिया। प्रकरणों का न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पश्चात् भी निरन्तर निगरानी की आवश्यकता बताते हुए अपराधी के साथ ही पीड़ित को भी चालान के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतिलिपि दिया जाना महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पीड़िता को तुरन्त पूछताछ के बजाय तसल्ली देकर पूछताछ का वातावरण देना चाहिए तथा विस्थापित को पुनः स्थापित करके उसके आत्मसम्मान में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने वर्दीधारी महिला पुलिसकर्मियों को आह्वान किया कि वे आरामदायक स्थानों को तलाशने के बजाय सशक्त भूमिका में आगे आयें।

स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट की विधिवत शुरूआत

स्वाधीनता दिवस पर राजस्थान के विभिन्न राजकीय उच्च माधमिक विद्यालयों में स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना की विधिवत शुरूआत की गई। इससे पूर्व राजस्थान के जिन सरकारी विद्यालयों में वर्तमान में इस योजना को लागू किया जा रहा है उनके स्टाफ को राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्रदान कर योजना के क्रियान्वयन के बारे में बताया गया। जयपुर में चार विद्यालयों में स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना लागू की गई है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माणकचौक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क में स्वाधीनता दिवस पर एस.पी.सी. का झण्डा फहराया गया। अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने सर्वप्रथम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में राष्ट्रध्वज फहराने के साथ ही एस.पी.सी. का झण्डा भी फहराया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने छात्राओं को राष्ट्र निर्माण में अहम् भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना से पुलिस कार्य में छात्रों का सहयोग लिया जायेगा जिससे उनमें अनुशासन के साथ ही सेवा भावना का भी विकास होगा। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना की शुरूआत से राजस्थान में एक नये अध्याय की शुरूआत होगी। इससे जनता और पुलिस दोनों के मध्य दूरियां कम होंगी तथा छात्रों को पुलिस कार्यप्रणाली को समझने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किये। मालवीय नगर के पश्चात् मानसरोवर तथा माणकचौक के विद्यालयों में भी उन्होंने एस.पी.सी. का झण्डा फहराया तथा छात्रों को सम्बोधित किया।

नेत्रदान घोषणा पत्र से मानवीय सेवा का संकल्प

दिनांक 06.09.2013 को राजस्थान पुलिस अकादमी के ऑडिटोरियम में आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा नेत्रदान पर व्याख्यान व दो लघु वृत चित्र दिखाकर नेत्रदान के महत्व को समझाया। पहली फिल्म में नेत्रहीन बच्चों को होली खेलते दिखाया गया। पूर्ण जोश से होली खेलने वाले एक बच्चे का मासूम सा सवाल की हरा रंग कैसा होता है, सभी को हैरानी में डाल देता है। दूसरी लघु फिल्म में एक नन्ही बच्ची पोस्ट ऑफिस जाती है और वहां से एक पोस्ट कार्ड खरीदती है। उस पोस्ट कार्ड को वह एक व्यक्ति को देती है तथा कहती है कि यह पोस्ट कार्ड आप भगवान जी को भेज दो और लिखो कि वो मुझे दो आँखें भेज दें। बच्ची का वाक़या अखबार की ख़बर बनता है तथा उसे आँख दान में मिल जाती है। आँख मिलने के पश्चात् बच्ची को देखने पर जो अनुभूति होती है वह सभी को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। लघु वृत चित्रों के पश्चात् श्री रवि कामरा ने सभी उपस्थितजन को यह बताया कि मृत्यु के कितनी देर बाद तक नेत्रदान किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जो आँखें मृत्यु के पश्चात् कुछ ही घण्टों में राख या मिट्टी में तब्दील होकर मूल्य विहीन होने वाली हों उनके दान से दो व्यक्तियों को जीवन में रोशनी देकर उनके जीवन में खुशियाँ लाई जा सकती हैं। उन्होंने इस अवसर पर नेत्रदान के लिए छपा हुआ आवेदन पत्र भरने की अकादमी स्टाफ से अपील की तथा नेत्रदान को महादान बताया। इस अवसर पर श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने नेत्रदान संकल्प पत्र भरकर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा नेत्रदान संकल्प पत्र वितरित किये गये जिस पर अकादमी के 200 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षुओं ने नेत्रदान संकल्प पत्र भरकर आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान को सुपुर्द किये।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री रवि कामरा ने बताया कि नेत्रदान संकल्प पत्र भरने में घरवालों की सहमति भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग

नेत्रदान का संकल्प पत्र प्रस्तुत करते श्री भगवान लाल सोनी निदेशक अकादमी

मृत शरीर की आँखों के निकालने से चेहरा विकृत होने के भय से नेत्रदान नहीं करते हैं। नेत्रदान में आँखों का केवल कॉर्निया निकाला जाता है, सम्पूर्ण नेत्र नहीं निकाला जाता है। कॉर्निया निकालने से चेहरे पर किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है। उन्होंने यह भी बताया कि नेत्रदान संकल्प पत्र भरने का मतलब भी यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की आँखें उसके मृत्यु के पश्चात् घरवालों के विरोध के बावजूद ली जायेंगी। संकल्प पत्र भरने से घरवाले स्वयं नेत्रदान के लिए सहमत हो जाते हैं तथा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में नेत्रदान के लिए सूचना देते हैं। नेत्रदान कोई जबरदस्ती नहीं है अपितु स्वयं प्रेरित सेवा है। नेत्रदान से मृत्यु पश्चात् भी हमें किसी के जीवन को संवारने का अवसर मिलता है।

जीवन में अनेक लोग दूसरों के बलिदान की सराहना करते रहते हैं। किसी अन्य के बलिदान की प्रशंसा का हक उसी व्यक्ति को होता है जो उस तरह के बलिदान के लिए स्वयं तैयार होता है। आदर्श बातें, आदर्श आचरण के बिना मूल्यविहीन होती हैं। अकादमी ने बड़ी संख्या में नेत्रदान संकल्प पत्र भरकर मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रतिवर्ष शहीद दिवस पर बड़ी संख्या में किया जाने वाला रक्तदान भी पुलिस के मानवीय चेहरे को परिलक्षित करता है।

अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला

राजस्थान में गोपालगढ़ की घटना के पश्चात् पुलिस कार्यवाही के सम्बन्ध में विभिन्न मतों के परिदृश्य में तथा अल्पसंख्यकों में पुलिस के प्रति विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से दिनांक 29 एवं 30.08.2013 को भरतपुर में Sensitization of Police Persons Towards Minorities विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 103 प्रतिभागी शामिल हुये। जिसमें भरतपुर रेन्ज के महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द श्रीवास्तव सहित दो पुलिस अधीक्षक तथा 08 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। कार्यशाला में पुलिस एवं अल्पसंख्यकों के बीच विश्वास स्थापित करने के उपायों पर विमर्श किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा भी पुलिस संगठनों को अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर संवेदनशील बनाने का सुझाव दिया गया था। कार्यशाला के दौरान विशेष रूप से यह बात उभर कर आई कि पुलिस को साम्प्रदायिक उन्माद के समय स्थिति पर नियंत्रण करने की विधाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में श्री भगवान लाल सोनी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने इस मुद्दे पर गंभीर मंथन एवं विमर्श की आवश्यकता बताई तथा पुलिस में अल्पसंख्यकों का विश्वास बनाये रखने के लिए लोगों के जान–माल की रक्षा को अतिशय जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा में पुलिस के विफल रहने के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं तथा इससे न केवल प्रदेश अपितु राष्ट्र की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्यशाला के दौरान पुलिस की दिन प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता बताई गई। उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ विश्वास बहाल करने के लिए अपने व्यवहार एवं तौर–तरीकों में आवश्यक सुधार करने पर बल दिया। पुलिस आचरण में निष्पक्षता को सर्वोपरि माना गया तथा साम्प्रदायिक स्थिति में विवेकपूर्ण एवं कारगर उपाय अपनाने पर बल दिया गया। कार्यशाला के दौरान अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में पुलिस संगठन द्वारा अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली के मानदण्डों पर चर्चा की गयी। अल्पसंख्यकों में विश्वास बहाली एक रणनीति के तहत करने की आवश्यकता बताई गई।

कार्यशाला में श्री आनन्द श्रीवास्तव, महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेन्ज ने गोपालगढ़ घटना के पश्चात् पुलिस विभाग के सम्मुख आई प्रमुख चुनौतियों एवं उनके समाधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला में इस बात पर भी सहमति बनी कि राजस्थान में अल्पसंख्यकों की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की पहचान की जावे तथा अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियायें अपनाई जायें। कार्यशाला में श्री आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, स्पेशल कोर्सेज, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने भी अपने विचार साझा किये।

पुलिस जनता सम्बन्धों पर कार्यशाला

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 24.9.2013 से 26.9.2013 तक पुलिस जनता सम्बन्धों पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के उदघाटन सत्र में श्री ए.आर. खान सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने बताया की समस्याओं को टालने के स्थान पर उनका समाधान किया जाना चाहिये तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सीएलजी के सदस्य बनाये जाकर उनका समस्याओं के समाधान में सहयोग लिया जाना चाहिए। श्री भगवान लाल सोनी निदेशक अकादमी ने जनमित्र पुलिस पर व्याख्यान देते हुए त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही पर बल दिया। श्री एम.के. देवराजन सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपने उद्बोधन में विभिन्न राज्यों में प्रचलित सलाहकारी संस्थाओं की प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। बीपीआर एण्ड डी के निदेशक डॉ. ईश कुमार ने जनमित्र पुलिस बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर बल दिया। अन्य प्रमुख वक्ताओं में डॉ. बी. संध्या अतिरिक्त महानिदेशक केरल, श्री जे.के. त्रिपाठी अतिरिक्त महानिदेशक तमिलनाडु, श्रीमती श्रीरुपा मित्रा चौधरी, श्री के. कोशिक, श्री कपिल गर्ग अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सीआईडी (सीबी), श्री भूपेन्द्र सिंह पूर्व निदेशक अकादमी थे। अन्तिम सत्र में संयुक्त विमर्श हुआ जिसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लाड कुमारी जैन व अन्य अधिकारी शामिल थे, जिन्होनें पुलिस की अच्छी प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप देने पर बल दिया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन

दण्ड प्रक्रिया संहिता में नवीन संशोधन निम्नानुसार हुए है :–

धारा 26ए के खण्ड सं. (iii) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 तथा धारा 376क से 376घ तक के अधीन अपराध का विचारण यथासंभव ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन अधिकारी हो।

संशोधन के अनुसार धारा 376 तथा धारा 376क से 376घ के स्थान पर धारा 376 तथा धारा 376क से 376ङ जोड़ा गया है।

54ए–किसी अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की अनुसंधान के लिए आवश्यक होने पर पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर न्यायालय उस व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से शिनाख्त करने के आदेश दे सकेगा।

संशोधन में नया तथ्य जोड़ा गया है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहचान किया जा रहा है जो कि मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो ऐसी पहचान प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में की जाएगी तथा ऐसे कदम उठाये जाएंगें कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने में ऐसी रीति का उपयोग करे जो उसके लिए सुविधाजनक हो।

यदि गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो ऐसी पहचान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।

154(1)– किसी संज्ञेय अपराध के बारे में इतिला प्राप्त होने पर थाने का भारसाधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगा।

संशोधन में नया तथ्य जोड़ा गया है कि यदि सूचना ऐसी स्त्री द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है जो ऐसी सूचना यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

परन्तुक

(क) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है और वह स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक की उपस्थिति में उस व्यक्ति के निवास स्थान या कोई सुविधाजनक स्थान पर अभिलिखित की जाएगी।

(ख) ऐसी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।

(ग) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान रिकॉर्ड करवाएगा।

160(1)– कोई पुलिस अधिकारी जो किसी अपराध का अनुसंधान कर रहा है वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों के बारे में जानकारी रखता है, हाजिर होने के लिखित आदेश जारी कर सकता है, किन्तु ऐसे आदेश किसी 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष या किसी स्त्री के लिए जारी नहीं किए जाएंगें अर्थात इनको थाने पर बुलाने के लिए लिखित आदेश जारी नहीं किए जाएंगें।

संशोधन के अनुसार ''15 वर्ष से कम आयु के पुरुष या किसी स्त्री'' के स्थान पर '' 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या स्त्री या मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति'' प्रतिस्थापित किया गया है।

161(3)– किसी अपराध के अनुसंधान में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के कथन लेखबद्ध करेगा तथा उसके अभिलेख तैयार करेगा।

संशोधन में नया तथ्य जोडा गया है कि यदि कथन किसी ऐसी स्त्री के है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है, तो कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगें।

164(5)– कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी प्रकरण के अनुसंधान के दौरान या विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व किसी व्यक्ति के कथन रिकार्ड कर सकता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के कथन सशपथ मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से अभिलिखित करेगा।

संशोधन में धारा 164 (5क) व 164 (5ख) जोडी गयी है :–

धारा 164 (5क)–क– यदि कथन किसी ऐसे व्यक्ति के है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 376 की उपधारा 1 व 2 तथा 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है, तो ऐसा अपराध पुलिस की जानकारी में आते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के कथन उपयुक्त तरीके से अभिलिखित करेगा।

- यदि कथन करने वाला स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा।
- स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक के सहयोग के साथ किए गए कथन की वीडियोग्राफी की जा सकेगी।

धारा 164 (5ख) – धारा 164 (5क) के अन्तर्गत स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के रिकॉर्ड किए गए कथन को मुख्य परीक्षण के स्थान पर का कथन माना जाएगा और ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षण किया जा सकता है तथा विचारण के समय उसके अभिलेखन की आवश्यकता नहीं होगी।

173(2)– उपधारा 1 के खण्ड (ज) में अपराध धारा 376 तथा धारा 376क से 376घ तक के अधीन किसी अपराध में स्त्री की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अन्तिम रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

संशोधन के अनुसार धारा 376 तथा धारा 376क से 376घ के स्थान पर धारा 376 तथा धारा 376क से 376ड जोड़ा गया है।

197– यदि कोई अपराध किसी लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया जाता है तो केन्द्रीय या राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ही अपराध का संज्ञान किया जा सकता है।

संशोधन के अनुसार यदि किसी लोकसेवक द्वारा धारा 166ए, 166बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354 डी, 370, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी व 509 का अपराध किया गया है तो अपराध का संज्ञान लेने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार की पूर्वानुमति लिय जाना आवश्यक नहीं होगा।

198(क)– धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी स्त्री पर किए गए उत्पीड़न या क्रूरता का परिवाद यदि स्त्री के नातेदारों या रिश्तेदारों द्वारा किया गया है तो न्यायालय 156(3) सीआरपीसी के अधीन पुलिस को अन्वेषण करने के आदेश प्रदान कर सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376ख के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि प्रथम दृष्ट्या यह समाधान हो जाए कि व्यक्ति वैवाहिक संबंध में है तथा पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध अपराध सम्बन्धी शिकायत दर्ज की गई है।

273–अभियोजन व प्रतिरक्षा का साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या उसके प्लीडर की उपस्थिति में ही लिया जाएगा।

संशोधन में धारा 273 में परन्तुक जोड़ा गया है कि जहां कोई 18 साल से कम उम्र की स्त्री जो किसी बलात्संग या अन्य लैंगिक अपराध की पीड़िता है और उसका साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है तो न्यायालय इसके लिए उचित कदम सुनिश्चित करेगा कि पीड़िता का आरोपी से सामना भी न हो साथ ही आरोपी को प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार भी रहे।

327(2)– धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी के अपराधों की जांच या विचारण बन्द कमरे में यथासाध्य किसी महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

संशोधन में 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी के साथ धारा 376ई भी जोडी गई है।

357(ए)– प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है उनके प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु एक स्कीम तैयार करेगी, प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण करेगी, प्रतिकर की सिफारिश करेगी आदि।

संशोधन के पश्चात् धारा 357सी भी अन्तःस्थापित की गई है कि सभी अस्पताल चाहे वे सरकारी हो या निजी, धारा 326ए, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई के अपराध पीडितों को तुरन्त निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवायेंगें तथा घटना के संबंध में तुरन्त पुलिस को सूचना देंगें।

Editorial Board

Editor in Chief
Bhagwan Lal Soni, IPS, Director
Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Deepak Bhargava (AD)
Alok Srivastav (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : NJSP, Jaipur # 0141-2365721